

दिनांक

फर्द अहकाम 05.7.2024

2024/394

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ राधेश्याम बनाम रामसिंह आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 259 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
12.06.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 17.06.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">m ^</p>	
17.06.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 17.06.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">m ^</p>	
05.7.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 17.06.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">m ^</p>	

वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 17.06.2024 को पेश हो।

वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 17.06.2024 को पेश हो।

m ^



डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-259/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण साकिन कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण साकिन कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री रामनिवास शर्मा वकील-वादी  
श्री हितेश शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1  
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 05/11/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि वादी को चक नं. 12 के. एम. के पत्थर नं. 204/417(46) किला नं. 7/1 की 0.0380 है0, 7/2 की 0.1770 है0 कुल 0.2150 है0(एक दूसरे के चिपते हुए) किला नं. 14 की 0.2400 है0 पूर्वी पासा, 17 की 0.2400 है0 पूर्वी पासा 24/2 की 0.1900 है0 पूर्वी पासा कुल 0.8850 है0 व प्रतिवादी संख्या 1 को चक नं. 12 के.एम. के पत्थर नं. 204/417(46) किला नं. 3 की 0.2530 है0, 4 की 0.2530 है0, 7/1 की 0.0380 है0, 8 की 0.2530 है0, 13/1 की 0.0760 है0, 14 की 0.0130 है0 पश्चिमी पासा पर उत्तर से दक्षिण लम्बा, 17 की 0.0130 है0 पश्चिमी पासा पर उत्तर से दक्षिण लम्बा, 24 की 0.0120 है0 पश्चिमी पासा पर उत्तर से दक्षिण लम्बा कुल 0.9110 है0 कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05/11/2024  
..... को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर  
हनुमानगढ़